

(902)
1279

सेवामें,
श्रीमान् तहसीलदार साहब,
दूनी (टोंक-राज0)


विषय : - जमाबन्दी खाता सं. 63, 67 में नाम/जमति दुरुस्ती करने बाबत
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 136 यू.रा. अधिनियम 1959


महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम रघुराजपुरा की जमाबन्दी सम्वत्
2074-77 के खाता सं. 63 व 67 में मेरी जाति -----
नाम रामदा पुत्री मोती, समला पुत्री मोती दर्ज है मेरा सही नाम शिमला
पुत्री मोती जाति धाकड है।
अतः सही नाम / जाति दुरुस्त कराने की कृपा करावें।

रिपोर्ट पटवारी-

महोदय, रेकार्ड जमाबन्दी सं. 2074-77 ग्राम रघुराजपुरा
के खाता सं. 63 व 67 में प्रार्थना रामदा पुत्री मोती समला पुत्री मोती
जाति धाकड दर्ज है। इसके बजाय प्रार्थी शिमला
पुत्री मोती निवासी ----- अपनी जाति -----
नाम रामदा व समला पुत्री मोती के बजाय जाति ----- नाम शिमला
पुत्री मोती सही कराना चाहता है, जिसको सही किया जाना उचित प्रतीत होता है।


P.R.N.M.R


पटवारी
कामेश्वर

Reedel

D. 24

श्रीमान्

कार्यालय तहसीलदार दूनी कम्प

गुराड

क्रमांक:- 102


दिनांक 20/11/21

मूल ही श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, देवली को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रार्थी श्री -----

शिमला पुत्री मोती पिता श्री मोती जाति धाकड
निवासी रघुराजपुरा तहसील दूनी की जमति मुताबिक रेकार्ड नाम -----

रामदा पुत्री मोती समला पुत्री मोती पिता पुत्री मोती जाति धाकड

दर्ज है, रिपोर्ट पटवारी के आधार पर सही नाम शिमला पुत्री मोती दर्ज किये
जाने की अभिशंका की जाती है।


तहसीलदार (मू.अ.)
दूनी जिला टोंक

(902)
2074

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला-टोंक
तहसील दूनी की अभिशंका के आधार पर जमाबन्दी सं. ग्राम रघुराजपुरा के खाता सं. 63, 67 में दर्ज
रामदा पुत्री मोती समला पुत्री मोती के स्थान पर शिमला पुत्री मोती इकाई का पत्र
रेकार्ड करने के लिए अग्रिम किया जाना है।
उप
देवली (टोंक)